Gcms No - 2025/508

फर्द अहकाम

(नियम–13)

(General Rule (Civil), Rule 103, Appendix 'B' Form No.91)

अज अदालत– .... सहायक कलक्टर .... मुकाम– .... डीडवाना ....

प्रार्थीया :– इन्द्रा कंवर पुत्री नारायण सिंह पत्नी रामसिंह जाति दरोगा निवासी रायसिंहपुरा तहसील डीडवाना हाल निवासी आजवा तहसील डीडवाना जिला डीडवाना–कुचामन राज.।

बनाम्

अप्रार्थीगणः– अजीत सिंह पुत्र बहादुर सिंह जाति दरोगा निवासी रायसिंहपुरा तहसील डीडवाना जिला डीडवाना– कुचामन राज. वगै.।

किस्म मुकदमा– राजस्व प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 212 R.T.Act. संख्या 181/2025 सन्–2025

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए।
08.08.2025	प्रार्थीया इन्द्रा कंवर पुत्री नारायण सिंह पत्नी रामसिंह जाति दरोगा निवासी रायसिंहपुरा तहसील डीडवाना हाल निवासी आजवा तहसील डीडवाना जिला डीडवाना–कुचामन राज. ने यह प्रार्थना–पत्र विरुद्ध अप्रार्थीगण अजीत सिंह पुत्र बहादुर सिंह जाति दरोगा निवासी रायसिंहपुरा तहसील डीडवाना जिला डीडवाना– कुचामन राज. वगै. के पेश किया। प्रार्थना–पत्र दर्ज रजिस्टर हो। स्थगन पर वकील प्रार्थीया श्री अशोक भाकर के एकपक्षीय तर्क सुने गये तथा रेकर्ड का अवलोकन किया। रेकर्ड के अवलोकन करने, तर्कों पर मनन् करने तथा प्रार्थीया के शपथ–पत्र पर विश्वास करते हुए, एकपक्षिय सुना जाकर अप्रार्थीगण को जरिये अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि, आगामी पेशी तक सरहद रायसिंहपुरा के खसरा संख्या 388 तथा 389 की भूमि में विक्रय/हस्तान्तरण नहीं करेंगे व राजस्व रेकर्ड की यथा स्थिति बनाये रखेंगे। अप्रार्थीगण को कोई उज्र एतराज हो तो असालतन/वकालतन न्यायालय में उपस्थित होकर पेश करें। नोट :– 1. उक्त स्थगन आदेश धारा 251A, 251 पर प्रभावी नही रहेगा। 2. प्रार्थी पक्ष सी0पी0सी0 के आदेश 39 नियम 3 की पालना करना सुनिश्चित करें। आदेश 39 नियम 3 की पालना न होने पर उक्त आदेश आगामी तारीख पेशी को स्वतः निरस्त समझा जायेगा। 3. अप्रार्थीगण के समन जरिये रजिस्टर्ड ए.डी. से भिजवाये जावें। अप्रार्थीगण को तलब होकर पत्रावली [illegible] 08.09.2025 को पेश हो। उपखण्ड अधिकारी डीडवाना 08/09/25 पत्रावली पेश हुई । श्री मान् P.O. सा. अवकाश/अन्य कार्य/दौरे पर पधारे है। मिसल दिनांक 09/09/25 को पेश हो	

Signature Not Verified

Digitally signed by Vikas Mohan Bhati
Date: 2026.04.09 17:23:16 IST
Reason: SelfAttested

प्रतिवादी सं. 13

Not press

9/7/2025

पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी उपस्थित। वकील प्रार्थी ने मूल वाद से प्रार्थना पत्र पेश कर पत्रावली प्रति० विरुद्ध नोट प्रेस खारिज करवाने का निवेदन किया। प्रार्थी अधिवक्ता की प्रार्थना न्याय हित के स्वीकार की जाकर पत्रावली प्रति० नोट प्रेस खारिज की जाकर फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

Vikas

Signature Not Verified

Digitally signed by Vikas Mohan Bhati
Date: 2026.04.09 17:23:16 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
डीडवाना